बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–17/2023(स्वा0) ..../पटना, दिनांक ....

डा0 विकास चन्द्र चौधरी, कार्यकारी उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, बाढ, पटना के विरूद्ध सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक–8192 दिनाक–08.06.2023 द्वारा संस्थागत चिकित्सा पदाधिकारियों का अवकाश आवेदन को संबंधित पंजी में संधारित नहीं करने, कार्य अवधि मे चिकित्सकों को अनुपस्थित रहने में प्रश्रेय देने, परिचारिका श्रेणी–A के माध्यम से संस्थागत प्रसूती से 2000/–रू० की राशि प्रति मरीज से वसूली करने, जीवन रक्षार्थ उपकरणों को कार्यशील नही रखने, अस्पताल परिसर में पदाधिकारी के लिए कर्णांकित आवास रहने के बावजूद मकान भत्ता का भुगतान करने, अस्पताल में भर्ती मरीज के नाम पर दीदी के रसोई को अनियमित भुगतान करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना स0–617(9) दिनाक–10.06.2023 द्वारा निलंबित किया गया एवं डा0 चौधरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–1142(9) दिनाक–17.10.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए डा0 चौधरी को विभागीय अधिसूचना सं0–445(9) दिनांक–27.06.2024 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–592(9) दिनांक–16 07 2024 द्वारा डा0 चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी है।

3. डा0 चौधरी द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि चिकित्सको के अवकाश आवेदन को अग्रसारित किया जाता था। सिविल सर्जन, पटना के द्वारा उनके आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाता था। अधीनस्थ कर्मियों को उपकरणों को क्रियाशील रखने का आदेश दिया गया था। किसी कर्मियो द्वारा उपकरणों के खराब होने की सूचना नहीं दी गयी। भर्ती मरीजों का नाम पंजी में अकित किया जाता था। उक्त पंजी में भर्ती मरीज की संख्या के आधार पर ही दीदी के रसोई को खाना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता था। उनके पूर्ववर्ती उपाधीक्षक द्वारा लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटित किया गया था। कोरोना काल से पदाधिकारी के लिए कर्णांकित आवास को Isolation Ward के रूप में कार्य लिया जा रहा था। संस्थान में लेखापाल के पदस्थापन नही होने के कारण विलंब से जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान किया जा रहा था।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं डा0 चौधरी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डा0 चौधरी के विरूद्ध प्रसुता से पैसा लेने के आरोप को छोड़कर शेष आरोप प्रमाणित होता है। फलतः डा0 चौधरी के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन पेंशन स्वीकृति की तिथि से 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन की राशि 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि दिनांक–10.06.2023 से 27.06.2024 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा इस अवधि की गणना केवल पेंशन प्रयोजनार्थ हेतु करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–10(9) दिनांक–06.01.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मॉग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–4578 दिनांक–13.02.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

09/03/2026

(15)

6. अतएव डा0 विकास चन्द्र चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजगरा, पंडारक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पदीय कार्य के निर्वहन में शिथिलता बरने के प्रमाणित आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) के अधीन पेंशन स्वीकृति की तिथि से 5% (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि 03 (तीन) वर्षो तक कटौती करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है। साथ ही निलंबन अवधि दिनांक–10.06.2023 से 27.06.2024 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने तथा इस अवधि की गणना केवल पेंशन प्रयोजनार्थ हेतु करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–9/आ0–01–17/2023(स्वा0)....286(9)..../**पटना, दिनांक**....10.03.26....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 विकास चन्द्र चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजगरा, पंडारक, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/03/2026

सरकार के अवर सचिव।